रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240137 CG-DL-E-09112022-240137

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4961] No. 4961] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5180(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3873 दिनांक 17 अगस्त 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752डी (स्पर) के कि.मी. 83.40 से कि.मी. 96.00 (उज्जैन-बदनावर खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23 अगस्त 2022 " को "दैनिक भास्कर " और "फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

7387 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची
मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752डी (स्पर) के कि.मी. 83.40 से कि.मी. 96.00 (उज्जैन-बदनावर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: धार							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: बदनावर						
	गांव का नाम: ब	मनसुता					
1	172	सरकारी	असिंचित	0.1	राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन (172)		
2	179	निजी	सिंचित	0.22	बरकतबाई बेवा अब्बास अकरमशाह पिता अब्बास आशिकशाह पिता अब्बास शाह यूसुफशाह पिता अब्बास शाह इकबाल शाह पिता अब्बास शाह (179)		
3	183/2	निजी	सिंचित	0.085	वर्दिचंद पिता केदार सिंह (183/2)		
	गांव का नाम: ढोलना						
4	972/8/1	निजी	सिंचित	0.06	कैलाश पिता भेरुलाल (972/8/1)		
	गांव का नाम: खेड़ा						
5	1162/2	निजी	सिंचित	0.014	रामचन्द्र पिता पुना (1162/2)		
6	1173/2	निजी	सिंचित	0.22	अशोक पिता लालूजी (1173/2)		
7	1175/2	निजी	सिंचित	0.417	लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल (1175/2)		

8	1183/1	निजी	सिंचित	0.76	विजयकुमार पिता लालजी (1183/1)	
9	1347	निजी	सिंचित	0.005	देवराम पिता रामा (1347)	
10	2268/2	निजी	सिंचित	0.15	रामचन्द्र पिता पुना (2268/2)	
11	2269	निजी	सिंचित	0.107	रामचन्द्र पिता पुना रमेशचन्द्र ,देवेन्द्रकुमार ,प्रदीपकुमार पिता किशोरीलाल व प्रमिला बैवा विजयकुमार माथुर (2269)	
12	2270/2	निजी	सिंचित	0.06	रामचन्द्र पिता पुना (2270/2)	
13	2319/2	निजी	सिंचित	0.16	उमरावबाई पति लालचन्द (2319/2)	
14	555/1	निजी	सिंचित	0.38	कान्ताबाई पिता कन्हैयालाल (555/1)	
15	607/2/2	निजी	सिंचित	0.255	लक्ष्मण पिता जगन्नाथ (607/2/2)	
16	849/2	निजी	सिंचित	0.01	भीमसिंह पिता नाहरसिह कृष्णाकुवर पति भीमसिंह (849/2)	
17	854/1/2/1	निजी	सिंचित	0.029	तोलाराम छौगालाल रामकिशन पिता नाथू (854/1/2/1)	
18	854/4/2/2	निजी	सिंचित	0.003	रामकिशन पिता नाथु (854/4/2/2)	
19	995/1	निजी	सिंचित	0.07	सुरेशचंद्र पिता नंदराम (995/1)	
20	995/2	निजी	सिंचित	0.07	खसरे मे कोई नाम दर्ज नहीं है (995/2)	
21	995/3	निजी	सिंचित	0.19	लक्ष्मण पिता जगन्नाथ (995/3)	
	गांव का नाम: पंचकवासा					
22	307	सरकारी	असिंचित	0.045	राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन (307)	

23	316	सरकारी	असिंचित	0.055	शासकीय (316)
24	347	निजी	सिंचित	0.15	जूझारसिह तुलसी नारायण (347)
25	96	निजी	सिंचित	0.068	नंदू, गोविंद, दिनेश, पवित्राबाई बेवा नाथुलाल (96/3/1)
26	96	निजी	सिंचित	0.129	सीताबाई पति कैलाशचन्द्र (96/3/2)
27	96	निजी	सिंचित	0.068	कैलाशचन्द्र पिता दुला (96/3/3)
28	96	निजी	सिंचित	0.035	मांगीलाल पिता चंपू (96/4)
			कुल	3.915	

[फा. सं. 0002/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5180(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3873 (E) dated 17-August-2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-752D on the stretch of land from Km 83.40 to Km 96.00 (Ujjain-Badnawar Section) in the district of DHAR in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Free Press" both dated 23 August 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, No objection have been received from any person by the Competent Authority;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752D in the stretch of land from Km 83.40 to Km 96.00 (Ujjain-Badnawar Section) in the district of DHAR in the state of MADHYA PRADESH

State:	MADHYA PR	ADESH	District: DHA	R	
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Badnav	var			
	Village: Bamaı	nsuta	1		
1	172	Government	Non Irrigated	0.1	Revenue Department Madhya Pradesh Government 172
2	179	Private	Irrigated	0.22	Barkatbai Widow Abbas Akaramshah S/o Abbas Ashiqshah S/o Abbas Shah Yusuf Shah S/o Abbas Shah Iqbal Shah S/o Abbas Shah 179
3	183/2	Private	Irrigated	0.085	Vardichand S/o Kedar Singh 183/2
	Village: Dhola	na			
4	972/8/1	Private	Irrigated	0.06	Kailash S/o Bherulal 972/8/1
	Village: Kheda	1			
5	1162/2	Private	Irrigated	0.014	Ramchandra S/o Puna 1162/2
6	1173/2	Private	Irrigated	0.22	Ashok S/o Laluji 1173/2
7	1175/2	Private	Irrigated	0.417	Laxminarayan S/o Mangilal 1175/2
8	1183/1	Private	Irrigated	0.76	Vijaykumar S/o Lalji 1183/1
9	1347	Private	Irrigated	0.005	devram S/o rama 1347
10	2268/2	Private	Irrigated	0.15	Ramchandra S/o Puna 2268/2
11	2269	Private	Irrigated	0.107	Ramchandra S/o Puna Rameshchandra, Devendra Kumar, Pradeep Kumar S/o Kishori Lal and Pramila Widow Vijaykumar Mathur 2269
12	2270/2	Private	Irrigated	0.06	Ramchandra S/o Puna 2270/2
13	2319/2	Private	Irrigated	0.16	Umraobai W/o Lalchand 2319/2
14	555/1	Private	Irrigated	0.38	Kantabai S/o Kanhaiyalal 555/1
15	607/2/2	Private	Irrigated	0.255	Lakshman S/o Jagannath 607/2/2

16	849/2	Private	Irrigated	0.01	Bhim Singh S/o Nahar Singh Krishnakuvar W/o Bhim Singh 849/2
17	854/1/2/1	Private	Irrigated	0.029	Tolaram Chougalal Ramkishan S/o Nathu 854/1/2/1
18	854/4/2/2	Private	Irrigated	0.003	Ramkishan S/o Nathu 854/4/2/2
19	995/1	Private	Irrigated	0.07	Sureshchandra S/o Nandram 995/1
20	995/2	Private	Irrigated	0.07	no name registered 995/2
21	995/3	Private	Irrigated	0.19	Laxman S/o Jagannath 995/3
	Village: Pan	chakwasa			
22	307	Government	Non Irrigated	0.045	Revenue Department Madhya Pradesh Government 307
23	316	Government	Non Irrigated	0.055	Government 316
24	347	Private	Irrigated	0.15	Jujar Singh Tulsi Narayan 347
25	96	Private	Irrigated	0.068	Nandu, Govind, Dinesh, Pavitrabai Widow Nathulal 96/3/1
26	96	Private	Irrigated	0.129	Sitabai W/o Kailashchandra 96/3/2
27	96	Private	Irrigated	0.068	Kailashchandra S/o Dula 96/3/3
28	96	Private	Irrigated	0.035	Mangilal S/o Champu 96/4
			TOTAL	3.915	

[F. No. **0002/3D**]

RAJESH GUPTA, Director